क्रमांक 4211220/नि./सर्कू./भाग–4/2015/ 15687 (101)

कार्यालय प्रमुख अभियंता
जल संसाधन विभाग, सिहावा भवन
छत्तीसगढ़, रायपुर

रायपुर, दिनांक 12/10/2017

प्रति,

सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
जल संसाधन विभाग, मंत्रालय,
महानदी भवन, नया रायपुर (छ0ग0)।

विषय :– वित्तीय अधिकार पुस्तिका भाग–2 में कार्य विभागों को प्रत्यायोजित अधिकारों में संशोधन हेतु प्रस्ताव ।

संदर्भ :– छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधन विभाग मंत्रालय नया रायपुर का पत्र क्र. 4775 /डी–7/44/जसं./2002 नया रायपुर दिनांक 05.09.2017 c/249

===00===

उपरोक्त विषय में शासन के संदर्भित पत्र एवं प्रकरण में छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग द्वारा दी गई टीप के अनुपालन में दिनांक 27.09.2017 को अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग रायपुर एवं प्रमुख अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, रायपुर के साथ संपन्न बैठक का कार्यवाही विवरण अवलोकन हेतु संलग्न है।

बैठक में हुये विचार–विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग के परिपत्र क्र. 258/799/वित्त/नियम/चार/2005 दिनांक 27.08.2007 (वित्त निर्देश–34/2007) के निम्नलिखित बिन्दुओं को संशोधित किये जाने का प्रस्ताव दिया गया है :–

1. बिन्दु क्रमांक–18 में अंकित "distributaries and minors" को विलोपित किया जाये।
2. बिन्दु क्रमांक–20 में design and estimate of structures and distributaries and minors के स्थान पर design and estimate of structures of distributaries and minors अंकित किया जाये।
3. बिन्दु क्रमांक–23 का उपयोग बिन्दु क्रमांक–14 से 22 में अंकित कार्यो के अतिरिक्त ही किया जा सकेगा।
4. बिन्दु क्रमांक–24 एवं 25 में प्रदत्त अधिकारों में "irrigation works and PHE works" को जोड़ा जाये।
5. बिन्दु क्रमांक–79 (ii) में प्रदत्त अधिकारों में "for irrigation works and PHE works" जोड़ा जाये।

उपरोक्त प्रस्ताव अनुसार वित्तीय अधिकार पुस्तिका भाग–2 में कार्य विभागों के प्रत्यायोजन में छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग से यथोचित कार्यवाही कराये जाने का अनुरोध है।

सहपत्र :– उपरोक्तानुसार।

प्रमुख अभियंता, 12/10/17
o/c जल संसाधन विभाग
12/10 छत्तीसगढ़ रायपुर

पृ. क्र. 4211220/नि/सर्कू./भाग–4/2015/ 15688 रायपुर, दिनांक 12/10/2017

प्रतिलिपि :–

1. प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग, सिरपुर भवन, रायपुर।
2. प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, रायपुर।
3. मुख्य तकनीकी परीक्षक (सर्तकता) प्रकोष्ठ, कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, सिहावा भवन, रायपुर।

की ओर सूचनार्थ प्रेषित्।

सहपत्र :– शून्य।

प्रमुख अभियंता,
o/c जल संसाधन विभाग
12/10 छत्तीसगढ़ रायपुर

दिनांक 27.09.2017 को वित्तीय अधिकार पुस्तिका भाग–02 के संबंध में हुई बैठक का कार्यवाही विवरण

वित्तीय अधिकार पुस्तिका भाग–02 में कार्य विभागों को प्रत्यायोजित अधिकारों में संशोधन हेतु दिनांक 27.09.2017 को प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग के कक्ष में बैठक आयोजित की गई। बैठक में निम्नलिखित अधिकारीगण उपस्थित हुए :–

1. श्री डी.के. प्रधान, प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग, रायपुर (छ.ग.)
2. श्री टी.जी. कोसरिया, प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, रायपुर (छ.ग.)
3. श्री एच.आर. कुटारे, प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, रायपुर (छ.ग.)
4. श्री ए.के. दुबे, मुख्य अभियंता, कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, रायपुर (छ.ग.)
5. श्री ए.के. साहू, अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मण्डल, रायपुर (छ.ग.)
6. श्री एस.के. साहू, अधीक्षण अभियंता (प्रशासन), जल संसाधन विभाग, रायपुर (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधन विभाग, रायपुर के पत्र क्रमांक – 4775/डी–7/44/जसं/2002, दिनांक 05.09.2017 में निहित निर्देश के परिपालन में राज्य के कार्य विभागों के प्रमुख अभियंताओं की बैठक वित्तीय अधिकार पुस्तिका भाग–02 में कार्य विभागों को प्रत्यायोजित अधिकारों में कतिपय संशोधन हेतु आयोजित की गई। बैठक में निम्न बिन्दुओं पर विचार विमर्श किया गया।

(i) मुख्य तकनीकी परिक्षक (सर्तकता) के पत्र दिनांक 12.12.2012 के बिन्दु क्रमांक – 02 पर प्रमुख अभियंता का अभिमत चाहा गया हैं। वस्तुतः कार्य विभाग नियमावली 1983 के volume-II के पार्ट – 1 के appendix - 2.31 के बिन्दु क्रमांक – 06 में design and estimate of structures of main canal अंकित है जबकि वित्त निर्देश 34/2007 – वित्तीय अधिकार पुस्तिका भाग – 02 के बिन्दु क्रमांक – 18 में design and estimate of structures of main canal के साथ " distributaries and minors अंकित हो गया है जो त्रुटिपूर्ण है। जिसे विलोपित किया जाना चाहिए।

(ii) कार्य विभाग नियमावली 1983 के volume-II के पार्ट–1 के appendix - 2.31 के बिन्दु क्रमांक – 08 में design and estimate of structures of distributaries and minors अंकित है जबकि वित्त निर्देश 34/2007 में वित्तीय अधिकार पुस्तिका भाग–02 के बिन्दु क्रमांक–20 में design and estimate of structures and distributaries and minors अंकित है। जबकि इसे and के स्थान पर of होना चाहिए।

(iii) वित्त निर्देश 34/2007 में वित्तीय अधिकार पुस्तिका भाग–02 के बिन्दु क्रमांक–14 से 22 तक सिंचाई योजनाओं हेतु शीर्ष कार्य एवं नहरों की design and estimates की स्वीकृति हेतु अधिकार प्रत्यायोजित किये गये हैं। बिन्दु क्रमांक–23 में नये कार्यों के लिए वित्तीय अधिकार दर्शित है, जो जल संसाधन विभाग के परिप्रेक्ष्य में विसंगतिपूर्ण है क्योंकि बिन्दु क्रमांक–14 से 22 में दिये गये वित्तीय अधिकारों के परिपालन में कार्यपालन तथा अधीक्षण अभियंताओं द्वारा

103

तकनीकी स्वीकृति प्रदान की जाती है जो बिन्दु क्रमांक–23 में प्रदत्त अधिकारों के अनुकूल नहीं है। इस स्थिति में बिन्दु क्रमांक–23 का उपयोग बिन्दु क्रमांक–14 से 22 में अंकित कार्यो के अतिरिक्त ही किया जाना व्यवहारिक होगा।

(iv) बिन्दु क्रमांक–24 एवं 25 में सिंचाई कार्यो तथा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी के कार्यो का समावेश नहीं किया गया है। इन दोनों बिन्दुओं में "irrigation works and PHE works" को जोड़ा जाना चाहिए।

(v) बिन्दु क्रमांक–79 (ii) में DPR preparation केवल लोक निर्माण विभाग के कार्यो के लिए ही अंकित है। इसमें सिंचाई तथा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी के कार्यो के योजनाओं के DPR preparation हेतु भी वित्तीय अधिकार अंकित होना आवश्यक है।

उपरोक्त बिन्दुओं पर संशोधन करने हेतु सर्वसम्मत राय व्यक्त की गई तद्नुसार वित्त निर्देश 34/2007 में वित्तीय अधिकार पुस्तिका भाग–02 के विभिन्न बिन्दुओं में निम्नलिखित संशोधन स्वीकृत करने हेतु अनुशंसा की जाती है :–

1. बिन्दु क्रमांक–18 में अंकित "distributaries and minors" को विलोपित किया जाये।
2. बिन्दु क्रमांक–20 में design and estimate of structures and distributaries and minors के स्थान पर design and estimate of structures of distributaries and minors अंकित किया जाये।
3. बिन्दु क्रमांक–23 का उपयोग बिन्दु क्रमांक–14 से 22 में अंकित कार्यो के अतिरिक्त ही किया जा सकेगा।
4. बिन्दु क्रमांक–24 एवं 25 में प्रदत्त अधिकारों में "irrigation works and PHE works" को जोड़ा जाये।
5. बिन्दु क्रमांक–79 (ii) में प्रदत्त अधिकारों में "for irrigation and PHE works" जोड़ा जाये।

(डी.के. प्रधान)
प्रमुख अभियंता,
लोक निर्माण विभाग,
रायपुर (छ.ग.)

(टी.जी. कोसरिया)
प्रमुख अभियंता,
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग,
रायपुर (छ.ग.)

(एच.आर. कुटारे)
प्रमुख अभियंता,
जल संसाधन विभाग,
रायपुर (छ.ग.)

106

वित्त निर्देश 07/2018

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

क्र. 70/एफ 2017–31–01493/वि/नि/चार नया रायपुर, दिनांक 24.02.2018

प्रति,

1. प्रमुख साचिव/सचिव
   लोक निर्माण विभाग, जल संसाधन विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
   मंत्रालय, नया रायपुर
2. समस्त प्रमुख अभियंता/मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालन अभियंता
   लोक निर्माण विभाग, जल संसाधन विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
   मंत्रालय, नया रायपुर
3. समस्त क्षेत्रीय विकास आयुक्त
   छत्तीसगढ़
4. समस्त कलेक्टर
   छत्तीसगढ़

विषयः– वित्तीय अधिकार पुस्तिका भाग–2 में कार्य विभागों के प्रत्यायोजनों का संशोधन

संदर्भः– वित्त विभाग का ज्ञापन कमांक 258/799/वित्त/नियम/चार/2005, दिनांक 27.08. 2007

वित्तीय अधिकार पुस्तिका 1995, भाग–2 में कार्य विभागों हेतु लागू वर्तमान प्रत्यायोजनों के सरल क्रमांक 18, 20, 24, 25 एवं 79 को संलग्न प्रपत्र अनुसार प्रतिस्थापित किया जाता है।

2. यह संशोधन आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

24/02/2018

(एस.के. चक्रवर्ती)
संयुक्त सचिव

(107)

पृ.क्र. 71/एफ 2017–31–01493/वि/नि/चार नया रायपुर, दिनांक 24.02.2018

प्रतिलिपिः—

1. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर
2. सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय
3. सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, नया रायपुर
4. रजिस्ट्रार जनरल /महाधिवक्ता / उपमहाधिवक्ता, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
5. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग/मानवाधिकार आयोग/राज्य निर्वाचन आयोग/लोक आयोग, रायपुर
6. निज सचिव/निज सहायक, मंत्री (समस्त), छत्तीसगढ़, नया रायपुर
7. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर
8. मुख्य सचिव के उप सचिव, मंत्रालय, नया रायपुर
9. आयुक्त जनसंपर्क संचालनालय, नया रायपुर
10. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली
11. राज्य सूचना आयुक्त, शास्त्री चौक, रायपुर
12. समस्त अधिकारी एवं समस्त शाखा, वित्त विभाग, नया रायपुर
13. संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़, नया रायपुर
14. मुख्य लेखाधिकारी, मंत्रालय, नया रायपुर
15. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़
16. समस्त कोषालय अधिकारी, जिला/इंद्रावती कोषालय, छत्तीसगढ़
17. समस्त प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, रायपुर/बिलासपुर, छत्तीसगढ़
18. संचालक, शासकीय लेखन सामग्री एवं मुद्रण, रायपुर

– को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु

19. संचालक, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली, नया रायपुर को वित्त विभाग की वेबसाइट www.cgfinance.nic.in पर अपलोड करने हेतु

24.02.18
(राघवेन्द्र कुमार)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी

BOOK OF FINANCIAL POWERS VOLUME-II

WORKS DEPARTMENT (Public Works Department, Water Resource Department, Public Health Engineering Department)

S.No.	Description	Authority competent exercise the powers	Extent of delegation	Conditions
18	Design and estimates of earth work/structures of main canal	1. Chief Engineer	Full Power	
		2. Superintending Engineer	Full Powers up to 10 cumecs capacity	
		3. Executive Engineer	Full Powers up to 1 cumecs capacity	
20	Design and estimate of structures of distributaries and minors	1. Chief Engineer	Full Power	
		2. Superintending Engineer	Up to 3 cumecs capacity	
		3. Executive Engineer	Up to half cumecs capacity	
	To accord technical sanction to estimates for ordinary repairs to buildings, roads and bridges, irrigation works and PHE works	Executive Engineer	Full Powers within his budget allotment	
25	To accord technical sanction to estimates for special repairs to buildings and roads, irrigation works and PHE works	1. Chief Engineer	Full Powers	Change of type of roof viz from AC sheet/GI sheet/Tiled Roof to RCC Roof shall be within the scope of special repairs
		2. Superintending Engineer	Up to Rs. 10 Lakhs	
		3. Executive Engineer	Up to Rs. 1 Lakh	
79	To accord administrative approval for Works/Projects. (i) For survey and investigation of works/projects.	1. Adm. Deptt. 2. Engineer-in-Chief 3. Chief Engineer 4. Supdt. Engineer 5. Excutive Engineer	Full powers Up to Rs. 20 Lakhs Up to Rs. 10 Lakhs Up to Rs. 5 Lakhs Up to Rs. 1 Lakhs	(1) Survey estimate shall not be split up into sub-estimats to avoid obtaining approval of competent authority.
	(ii) Preparation of DPR for Roads and Bridges including Major Bridges, Minor Bridges, Culverts over Bridges and Roads for irrigation works and PHE works.	1. Adm. Deptt. 2. Engineer-in-Chief 3. Chief Engineer 4. Supdt. Engineer 5. Excutive Engineer	Full powers Up to Rs. 20 Lakhs Up to Rs. 10 Lakhs Up to Rs. 5 Lakhs Up to Rs. 1 Lakh	(2) Expenditure to be made from lump sum budget provision of such items provided under 'survey sub-head'.

(S.K. Chakrabortry)
Joint Secretary